भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



LGD Notification

Creation of New Village

Published By Proposed By

Name Mohd.Salim Khan

Designation Deputy Registrar Land Record

Mobile no. IP Address

9461429781 164.100.145.30

On date 28/05/2024

Name

Designation

Mobile no.

Tehsildar 9461429781

BORTDRLR

IP Address 164.100.145.30 On date 28/05/2024

District Name Ajmer

Sub District Name Ajmer

Village Name (In English) Nadi Second

Village Name (In Local language) नदी द्वितीय

Village Effective Date 11/10/2022

Village Status Inhabitant

How to Village is Formed? New Village Created by Existing Village.

CONTRIBUTED VILLAGES LIST

Village Code	Village Name	Coverage Type
91630	Saradhana	PART

राजस्थान–सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : 40 9(110)राज —1 / 2022

जयपुर, दिनांक : 11.10.2022

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या—15) की धारा 16, में बिहत प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त स्वाव/अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की हसील अजमेर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—7 में कित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया विगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम

A-7	ग्राम पंचायत	मूल रा	जस्व ग्राम व	ना विवरण	नवीन राज	स्व ग्राम	टरी	मूल राजस्व ग्राम का			
जिला / तहसील	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	नवीन ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	दूरी (कि. मी.)	शेष रहा क्षेत्रफल (है. में)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	सराधना / अजमेर ग्रामीण	धना			नदी प्रथम	1300	205.0675	3			
अजमेर /		1	/ सराधना	ना 8584	2635.84	नदी द्वितीय	900	41.9325	5	2203.37	
अजमेर		Control of the Contro			. डांग सराधना	600	185.47	2.5			

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों / नवीन व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

gallharme

(विश्व मोहन शर्मा) संयुक्त शासन सचिव

क्लक्टर (मू.अ.) अजमेर प्रान्ति २११८ १२३।।। १४२२

PC-

भी तम्निलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
किथि तम्निलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
पूर्व सिव्व, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार
पूर्व सिव्व, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
किली सिव्व विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार
किली सिव्व, मुख्य सिव्व समस्त अतिरिक्त मुख्य सिव्व प्रमुख शासन सिव्व
किली सिव्व, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
किस्ति संभागीय आयुक्त, राजस्थान
किस्ति जिला कलक्टर, राजस्थान

ति समस्त जिला कलक्टर जारी अधिसूचना की अनुपालना में उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायें।

🙉 आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर

🖟 आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर

- ा. निदेशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर
- 12 मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर
- 13. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
- । निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर
- ıs. निदेशक, मुद्रणालय एवं ले0खन सामग्री, जयपुर
- 16 महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर
- 17. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपूर
- ıs राजस्व (ग्रुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

19. रक्षित पत्रावली ।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:--

01. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर

- 02. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर
- 03. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
- 05. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

1000

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

धा. अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002

02. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016

03. सिवव, रक्षा/कृषि/ग्रामीण विकास/उद्योग/शिक्षा/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

4. सचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001

05. निदेशक, राजस्थान भू—स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन, सेक्टर—10, विद्याधरनगर, जयपुर—302039

%. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड ७७. निदेशक, नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीबड़कला एस्टेट,

देहरादून, उत्तराखण्ड—248001 ^{08.} महानिदेशक, डाक विभाग, (प्लानिंग डिवीजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

ह^{ं प0} 9(110)राज —1 / 2022

जयपुर, दिनांक : 05.12.2022

-: अधिसूचना :-

्राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या—15) की धारा 16, में प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की विस्तागन के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—7 में मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया विद्या वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम

_	ग्राम	मूल राज	तस्व ग्राम क	ग विवरण	नवीन राज	ास्व ग्राम व		मूल	
विता / व्हसील	पंचायत / पंचायत समिति	ग्राम का नाम	जन संख्या 2011 अनुसार	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	नवीन ग्राम का नाम	जन संख्या 2011 अनुसार	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	दूरी (कि. मी.)	राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (है. में)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	/	928	907.36	कास्यां	280	153.20	2.5	331.66
अजमेर	करनोस			ओड़ास	306	422.50	3		
/ गीसांगन	पीसांगन		490.74	किशनपुरा	384	78.26	3	412.48	
		रुपनगर थोरिया	1222	622.48	रामगढ़	428	127.12	2	495.36

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों किया—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन विग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार स्थित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(विश्व मोहन शर्मा) संयुक्त शासन सचिव

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-भीवाप सिवंव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान मिल्ल सिवंव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान

मुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार

मुख सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार

कि सिवंव, मुख्य सिवंव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सिवंव/प्रमुख शासन सिवंव ह निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

🖟 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान

हा. समस्त ज़िला कलक्टर, राजस्थान

हैं. संबंधित जिला कलक्टर जारी अधिसूचना की अनुपालना में उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें।

🙉 आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर

🖟 आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर

।। निरंशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर

11. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर

। निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर

हि निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर

16. महाडाकपाल राजस्थान, जयपूर

ा. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर

🏨 संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

19. रक्षित पत्रावली ।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

श. रिजस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर

🛚 अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर

🛚 सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर

सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

ण. अवर सिचव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002

थ. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016

अ. सिवव, रक्षा/कृषि/ग्रामीण विकास/उद्योग/शिक्षा/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ध. सिवेव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001

७. निदेशक, राजस्थान भू—स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन,

सेक्टर-10, विद्याधरनगर, जयपुर-302039 %. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड ण. निर्देशक, नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीबङ्कला एस्टेट,

देहरादून, उत्तराखण्ड-248001 %. महानिदेशक, डाक विभाग, (प्लानिंग डिवीजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

सहायक शासन सचिव



राजस्थान-सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

ब्रांक : प. 9(31)राज-1/2022

जयपुर, दिनांक : 17.04.2023

--: अधिसूचना :--

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील किशनगढ़ के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई. नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-9 के अनुसार होगा :--


at a second	-	ग्राम	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन रा	जस्व ग्राम	ਸਕ	मूल राजस्व	
क सं	जिला / तहसील	पंचायत / पंचायत समिति	ग्राम का नाम	जन संख्या (2011 के अनुसार)	भौगोलि क केन्रफल (है0 में)	ग्राम का नाम	जन संख्या (2011 के अनुसार)	भौगोलिक क्षेत्रफल (हैं0 में)	मूल ग्राम से दूरी (कि.मी.)	ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है0 में)
1	2	3	4	5 .	6	7	8	9 .	10	11
1	अजमेर / किशनगढ़	डींडवाडा / किशनगढ़ (सिलोरा)	डींडवाडा	2215	2029. 1970	कदमपुरा	460	273:1054	1	1756. 0916

नवीन राजस्व ग्राम के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्राम के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्राम/नवीन राजस्व ग्राम की पृथक-पृथक जमावन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के पिरशोधन कार्य किये जाने हेतु जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

The Lange

(विश्व मोहन शर्मा) विशिष्ट शासन सचिव



526

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

el. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान

ध प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान रारकार

al. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार तिजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव

es निबन्धक, राजस्य मण्डल राजस्थान, अजमेर

06. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान

pt. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान

es. संबंधित जिला कलक्टर जारी अधिसूचना की अनुपालना में उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावे।

आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर

10. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर

निर्देशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-वी, झालाना वृगरी, जयपुर

12. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर

- महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्राक विमाग, अजमेर
- 14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर
- 15. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर

16. महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर

महाप्रबन्धक, टेलीकम्युनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर

18. संयुक्त शासन सचिव, राजस्य (ग्रुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

19. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

01. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/अयपुर

02. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर

सचिव, राजस्थान विधान समा, जयपुर

04. सचिव, लोकायुक्त राविवालय, जयपुर

es. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

01. अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय मंजिक सीएस डिविजन (M&G Sec.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002

निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉर्जी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली—140016

सचिव, रक्षा/कृषि/ग्रामीण विकास/उद्योग/शिक्षा/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली

64. सचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001 निदेशक, राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन,

सेक्टर-10, विद्याधरनगर, जयपुर-302039

महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीबङ्कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड

निदेशक, नॉर्दर्न प्रिटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाधीबङ्कला एस्टेट,

 महानिदेशक, डाक विमाग, (प्तानिग डिवीजन) सूचना एवं ेद्योगिकी, डाक भवन संसद दिल्ली-110001

सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार राजस्व (ग्रूप–1) विभाग

कमाकः प. 9(26)राज -1/2015

जयपुर, दिनांक : 30.09.2015

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या—15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतदृहारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील टाटगढ़ के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या—8 के अनुसार होगा :—

क. सं.	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	जनसंख	जस्य ग्राम की ड्या/क्षेत्रफल स्टेयर में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	राजस्य ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		रू के में में	मूल राजस्य ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	
			ভাল য়ন্ত্র্যা	क्षेत्रफल		জন প্রত্যা	शेत्रफल	- 41		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	अजमेर/ टाटगढ	सातूखेडा	937	278.81	टीलाखेडा	450	159.55	3.0	119.26	
2		पालडी	1210	452.31	आपाती का बाडिया	530	135.00	3.0	317.31	

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अमिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों / नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(दुर्गा जोशी) संयुक्त शासन सचिव

क्०प०उ०

प्रतिनिधि निम्नितिस्ति को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है... अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोत, राजस्थान, राजभवन जयपुर।

2 उप सचिव माट मुख्यमंत्री महोत राजरथाम शरकार।

- 3 िली सचिव / विशिष्ट सहायक / समग्रत मजीगण / राज्यमंत्रीमण / समग्रीम सचिव, राज्य शरकार ।
- निजी सक्तित मुख्य समिव/समात आंगेरिका मुख्य सचिव/प्रमुख शासन समिव/शासन स्विधान्त्र,
- 5 निवन्धक राजस्य मण्डल राजस्थान अजमेर ।
- सम्बद्धां समागीय आयुक्त, राजस्थान ।
- तमस्त जिल्ला कलकार्स राजस्थान।
- डायुक्त, भू-प्रचन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर,
- अञ्चल ग्रामीण विकास एवं प्रचायती राज विभाग, जयपुर।
- निदेशक जनगणना विभाग राज्य 6-बी, झालाना दुगरी, जयपुर।
- 11 मुख्य मिर्वाचन अधिकारी, राज्य जयपुर ।
- 12 निदेशक सूत्रना एदं जनसम्पर्क निदेशालय राज्य जयपुर ।
- 13 निर्देशक मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री जयपुर को राजस्थान राजपंत्र के आगामी अक में प्रकाशित कर १९ प्रतियां निम्न हश्लाक्षरकर्ता को शीग्र मिजवाने बाबत। हार्ड व सोफट प्रति आपकी ईमेल आई हो... govt.pressjaipur (2 gmail.com) पर दिनांक को पेशित कर दी गई है।

महाहाकपाल राज्य लयपुर।

- महाप्रधम्पक टेलीकम्युनिकेशन, मरदार प्रदेत मार्ग जयपुर।
- 16 राजस्य (यूण-\$ / e) विमाग शासन सविवास्य जयपुर।

गं पंद्यत प्रवावती ।

सहायक शासन सचिव

प्रतिनिधि निम्न को निर्देशानुसार स्चनाध प्रेवित है -

- र जिस्ट्रार जनरत मा० राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- इ सकिंव राजस्थान विधान सभा जयपुर।
- असचिव लोकायुक्त सविवालय अयारि।
- नाचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
- अध्यक्ष एट प्रबन्धक निर्देशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नियम, विद्युत भवन, जयपुर ।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निस्त को भी निर्वेशानुसार सुधनाथ प्रेपेल है-

- ा निर्देशक (सीएस-II), गृह मश्रालय सीएस हिगिजन (M&G Sec.) NDCC-II विक्रिय 5वीं महिल लयासह रोड. नद्द दिल्ली-110001
- ्र हैस्क अभिकार (एसएमधी), दिशान और प्रोधी?की मञ्जालय विज्ञान और प्रोधीमिकी विभाग हेक्नीलीजी भवन गहरीती मार्ग नर्ष दिल्ली-110016 ।
- असीवड, वस्त्र / कृति / द्वामीण विकास / तद्योग / विकास / विकास मदालय, भारत संस्कार मई (देवली)
- रावित ऐस मन्नालय (राजद बोर्ड) १६-१०, राज मक्त, नई दिस्ती-११०००।
- महा सर्देशक भारतीय सर्देशण किमार पोस्ट बाक्स नम्बर ३७, हाथीबडकला एस्टेट देशरावृत 245001 (न्यान्याखण्ड)
- र ्नित्राक राजस्थान भू स्थानिक आकड़ा केन्द्र भारतीय सर्वश्चा विभाग ग्रंट आर्क भवन सेक्टर-- ह विधायसम्बन्ध अवपुर - उठ्युटर-५ (संच्यु)
- ा सिट्सांक मादेन (प्राटण पुर आसरीच संवेदाण रिक्सम् वायर वावस नम्बर 26, हान्योवसकाला एस्टेट देसराहर्ग इसकेटर (उत्तरतालकार)
- महानिदशक, राक विभाग (प्यानित हिदोलन) सूचना एवं प्रीशार्गको आकं भवन, संसद मार्ग, नई दिन्दी 110001

सहायक शासन संचिव

कमांकः प. 9(26)राज -1/2015

जयपुर, दिनांक : 30.09.2015

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंपा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील टाटगढ़ के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :--

क. सं.	जिला / तहसील	मूल राजस्य ग्राम का नाम	जनसंर	जस्व ग्राम की व्या/क्षेत्रफल क्टेयर में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	राज जनसंख	ावित नवीन स्व ग्राम की त्या/ क्षेत्रफल क्टेयर में)	दूरी कि. मी.	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल	में	=
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर/ टाटगढ़	सातूखेडा	937	278.81	टीलाखेडा	450	159.55	3.0	119.26
2	"	पालडी	1210	452.31	आपातो का बाडिया	530	135.00	3.0	317.31

नवीन राजस्य ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्य ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों / नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमावन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(दुर्गो जोशी) संयुक्त शासन सचिव

कृ०प०उ०....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है:-अति। मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महो।, राजस्थान, राजभवन जयपुर।

ण्य राज्य, गाँउ गुल्यमञ्जा गुल्यमञ्जा गुल्यमञ्जामा । निजी सचिव/विशिष्ट सहायक/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव, राज्य सरकार। निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।

निबन्धक, राजस्य मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

समस्त संमानीय आयुक्त, राजस्थान। समस्त जिला कलक्टर्स राजस्थान।

विला अलमर

आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।

आयुक्त, ग्रीमीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। निर्देशक, जनगणना विभाग राज0, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज० जयपुर।

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर।

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पक निदशालय राजांव, जनपुर निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 निदेशक, मुद्रणालय एवं लखन सामग्रा, जयपुर पा प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत। हार्ड व सोफ्ट प्रति आपकी ईमेल आई है. 13. govt.pressjaipur@gmail.com पर दिनांक

महाडाकपाल, राज० जयपुर। म्राप्रबन्धक, टेलीयन्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर। 14

राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

16.

कार्यालय जिला कलक्टर (भू-अभिलेख), अजमेर जिला अजमेर

कमांकः क.अ./भू.अ./संस्था/15/ ५०७-2-6

दिनांक 18-1-16

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर

प्रभारी अधिकारी. 2:-राजस्व एवं सामान्य अनुभाग अजमेर

उपखण्ड अधिकारी ब्यावर 3:-

04-18:-तहसीलदार

अजमेर / पुष्कर / पीसांगन / नसीराबाद / केकडी / सांवर / सरवाड / टाटोटी / मिनाय / मसूदा / विजयनगर / ब्यावर / किशनगढ / रूपनगढ / अंराई

तहसीलदार टॉडगढ को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में 19:-वर्णित खसरा नम्बर के अनुसार नवीन घोषित राजस्व ग्राम टीलाखेडा [ब आपातों का बाडिया का राजस्व अभिलेख एवं मानचित्र पृथक से तैयार की इस कार्यालय को एक माह की अवधि में अवगत करावें तथा साथ ही नवीन ग्राम की आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की एक प्रति भू—प्रबन्ध अधिकारी अजि को उपलब्ध करावें।

प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख अनुभाग र्कालेक्ट्रेट, अजमेर

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्मांकः प. 9(26)राज -1/2015

जयपुर, दिनांक : 01.01.2016

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील सावर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

	क. सं.	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	जनसंर	जस्व ग्राम की व्या/ क्षेत्रफल क्टेयर में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	राज जनसं	गवित नवीन स्व ग्राम की ख्या / क्षेत्रफल क्टेयर में)	दूरी कि. मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	i			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	अजमेर/ सावर	घटियाली	4099	3173.91	नाड़ी	957	1187.04	3.0	1986.87
	2		गोठडा	967	444.27	देवमण्ड	444	192.53	1.0	251.74

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूलं राजस्व अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूलं राजस्व ग्रामों / नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की

पारशाधन काय क लिय जिला कलक्टर, अजनर प्रा जालकृत निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(दुर्गा जोशी) संयुक्त शासन सचिव

कृ०प०उ०.....

स्रापलिय क्यांच्या (वा.अ.) अजमेर स्रमांक विकास

1-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:— अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महो०, राजस्थान, राजभवन जयपुर।

आत0 मुख्य साचव, महानाहन राज्यात सरकार।
 उप सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महो0,राजस्थान सरकार।

उप सचिव, मा0 मुख्यमंत्रा महा०,राजस्वान राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव, राज्य सरकार।
 निजी सचिव/विशिष्ट सहायक/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव, राज्य सरकार।

निजी सचिव/पासिक रिविचर/ समस्त अतिरिक्त मुख्य सिचव/प्रमुख शासन सिचव/शासन सिचवगण।

निवन्धक, राजरव मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।

समस्त जिला कलक्टर्स राजस्थान।

आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।

9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।

10. निदेशक, जनगणना विभाग राज0, 6-वी, झालाना डूंगरी, जयपुर।

11. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर।

12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर।

13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ भिजवाने वाबत! हार्ड व सोफ्ट प्रति आपकी ईमेल आई ई-govt.pressjaipur@gmail.com पर दिनांक 01-01-2016 को प्रेषित कर दी गई है।

14. महाडाकपाल, राज० जयपुर।

- 15. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।
- 16. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

17. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सिव

राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलक्टर (भू अभिलेख)अजमेर, जिला—अजमेर

क्रमांकः कअ/भूअ/संस्था/15/38% -406 प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

दिनांकः 12-1-16

1. भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर

2. प्रभारी अधिकारी,

राजस्व एवं सामान्य अनुभाग अजमेर

3. उपखण्ड अधिकारी केकडी

4-18 तहसीलदार

अजमेर / पुष्कर / पीसांगन / नसीराबाद / केकडी / सावर / सरवाड / टाटोटी / भिनाय / मसूदा

विजयनगर/ब्यावर/किशनगढ/रूपनगढ/अराई

19. तहसीलदार सावर को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित खसरा न अनुसार नवीन घोषित राजस्व ग्राम नाडी एवं देवमण्ड का राजस्व अभिलेख एवं मानचित्र पृथा तैयार कर इस कार्यालय को एक माह में अवगत करावें साथ ही नवीन ग्राम की आप द्वारा प्रिप्ताव की एक प्रति भू—प्रबन्ध अधिकारी अजमेर को उपलब्ध करावें।

प्रभारी अधिकारी भू—अभिलेख अनु^{मा} कलेक्ट्रेट, अज^{मेर}

oll

राजस्थान–सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग



कमांकः प. ९(२६)राज -1/2015

जयपुर, दिनांक : 29.06.2017

—ः अधिसूचना :—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंपा के अनुरूप राज्य सरकार एतदृद्धारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील केकड़ी के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :--

क. सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	की ज क्षे	जिस्त ग्राम नसंख्या / त्रफल क्टेयर में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	राजस जनसंख	वित नवीन व ग्राम की या / क्षेत्रफल यर में)	दूरी कि. मी. में	मूल राजस्व ग्राम का
1		3	जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर मैं)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2 -2- (छोटा शाहपुरा	347	479.87	4.0	
2	अजमेर / केकडी			4063.16	रणजीतपुरा	327	556.54 3.0	3.0	2681.92
3	474761				सवाईपुरा	287	344.83	3.0	

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों / नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से (सांवर मल वर्मा) (का संयुक्त शासन राचिव

कृपउ.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महो०, राजस्थान, राजभवन जयपुर।

उप सचिव, मा० मुख्यमंत्री महो०,राजस्थान सरकार। उप सचिव, मा० मुख्यमत्रा महाए,पारास्त्र मंत्रीमण/राज्यमंत्रीमण/रांसदीय राचिव, राजा० राखाः निजी सचिव/विशिष्ट सहायक/समस्त मंत्रीमण/राज्यमंत्रीमण/रांसदीय राचिव, राजा० राखाः 1. 2.

निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन 3.

4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान। 5.

समस्त जिला कलक्टर्स राजस्थान। अजर्भेट 6.

आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर। 8.

आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। निर्देशक, जनगणना विभाग राज0, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।

10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज० जयपुर।

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर। 11.

निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजरथान राजपन्न के आगागी अंक है प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने वावत। हार्ड व सोप्ट प्री 12. आपकी ईमेल आई डी- govt.pressjaipur@gmail.com पर दिनांक 29.06.2017 को 13. प्रेषित कर दी गई है।

महाडाकपाल, राज० जयपुर।

महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर। 14.

राजस्य (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 15. 16.

रक्षित पत्रावली। 17.

सहायक शासन सविव

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर (भू-अभिलेख) अजमेर, जिला अजमेर (राज०) दिनांक 6/9/17

क्रमांकः कअ/भूअ/संस्था/17/6301-32 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:--

भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर

2-3 प्रभारी अधिकारी, राजस्व/सामान्य अनुभाग अजमेर

4-15 उपखण्ड अधिकारी अजमेर/पुष्कर/पीसांग्न/नसीराबाद्/ब्यावर/टॉडगढ/मसूदा/केकडी/भिनाम/सर्वाड किशनगढ / रूप्रनगढ

16-31 तहसीलदार,

अजमेर / पुष्कर / पीसांगन / नसीराबाद / ब्यावर / टॉड्गढ / मसूदा / विजयनगर / केंकडी सावर/भिनाय/सरवाड/टांटोटी/किशनगढ/अरांई/रूपनगढ

तहसीलदार केकडी को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित है नम्बर के अनुसार नवीन घोषित राजस्व ग्राम छोटा शाहपुरा, रणजीतपुरा एवं सवाईपुरा 32. राजस्य अभिलेख एवं मानचित्र पृथक से तैयार कर इस कार्यालय को एक माह में 🧩 करावें साथ ही नवीन ग्रामों की आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की एक प्रति भू-प्रबन्ध अर्थि अजमेर को उपलब्ध करावे।

_{क्रमीकः} प. 9(26)राज −1 / 2015

जयपुर, दिनांक :

11/12/12

-: अधिशूचना :-

राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16. के व्यक्तानों के अन्तर्गत जिला कलवटर व राजस्य मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव ∕ अनुशंषा के अनुरूप राज्य हत्कार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील सरवाड़ के मूल राजस्य ग्राम से व्यती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों ∕ ढाणियों को एतद्पश्चात् तल्ल ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तगान क्षेत्रफल मूल तल्ल ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

2 17	जिसा/ तहसील	मूल राजश्व ग्राम का नाम	भूल राजश्य ग्राम की जनसंख्या / होत्रफल (हैवटेयर भे)		परतावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	पाः जनसंख्याः	तवीन पाजस्व १ वरी १/बोजफल गर गे)	दूरी कि.मी. मे	मूल पाजस्व धाम का शेष रहा सेजफल
			संस्था	क्षेत्रफल		जन संख्या	दोत्रफल	1	(हैवटेगर वे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
,	अजमेर / सरवाड	बोराङा	3642	3115	रामसिहपुरा	441	316	4.5	2799

मवीन राजरव ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजरव ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजरव ग्रामों/नवीन राजरव ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खरारा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के पिरशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की .

आज्ञा से

(हरि मोहन)

संयुक्त शासन सचिव

कृपउ ...

क्रांतरिक किमालिकिया को विदेशानुसार सुकलाई एक आवश्यक कार्यवारी हातु प्रेक्टित है ... क्रीता मुख्य संविध महामादिन शालावास महोत शालम्बान शालम्बन जयपुरः। त्रव शरिवव याठ मुख्यमची भरीद राजस्थान सरकार। राजी महित्र / विशिष्ट सहायत / समस्य मंद्रीमण / राज्यमधीनण / समरीय सवित्र राज्य सरहार . सती मधिए मुख्य समित / समान अतिरिका पुरत सचित/इपूछ शासन समित/सासन समिताला। स्थान राजस्य गण्डल राजस्थान अजनेर । व्यक्त प्रसारिय अध्यक्त राजस्थातः। ज्ञाना जिला कानक्टर्स राजस्थान। आयाम, भू-प्रथमा विभाग, राजस्थान असपूर। शायाल ग्रामीण विकास एवं प्रधायती राज विभाग, जयपुर। क्षरक अन्यासना विभाग राज्य ६ की झालाना कुछी जायपर। गतम मिर्याचन अधिकारी शामक ज्ञायपुर। किट्रेशक सुवाग एवं जनसम्पर्क निदेशास्य राज्य, जयपुर। सहराज मुद्रणालय एवं लेखन समग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 व्यक्तिक विकास हरताक्षरकाली को शीध मिजवाने बाबत। हाई व स्रोफट प्रति आपकी ईमेल आई हीgovi pressjaipuri@gmail.com यर दिलांक 👖 12 2017 को देखित कर दी गई है। महाजानाहर पाना उत्पापर। व्यवस्थाक देवीकस्युनिकंशन सरदार प्रदेल मार्ग जयपुर। गजरत (६०-५/६) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। लीता प्यास्ती. वितितिकि विका को निर्देशानुसार सुचनार्थ वेशित है -विकास जनस्य माठ राजस्थान तस्य न्यायातयः जीवपुर/अयपुर। गचिव राजस्थान विधान समा जयपुर। विशेष लोकायुक्त संधिषालय, जयपुर। सरिय राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। अध्यक्ष एय प्रयत्नमक निर्देशक, राजस्थात राज्य विद्युत प्रशारण निगम, विद्युत भवन जयपुर। राजस्थान सरकार कार्यालय कलक्टर (भू—अभिलेख) अजमेर, जिला—अजमेर दिनांक 01/01/2018 ¹⁰⁰ रुड/पृष्ट/संस्था/18/04-35 प्रतिविधि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-. भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर 7.2 प्रमारी अधिकारी, राजस्य/सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, अजमेर 🚝 उपचण्ड अधिकारी, अजगर/पुष्कर/पीसांगन/नसीराबाद/स्वावर/टॉडगढ/मसूदा/केकडी/भिनाय/सरवाड विज्ञानगढ़ / साधनगढ h in bretimere अजमर/पुष्कर/पीररागन/नसीराबाद/ब्यावर/टॉडगढ/मसूदा/बिजवनगर/केकडी/सावर मिनाव / सरवाड / टाटोटी / विश्वनगढ / अराई / रूपनगढ वासीलदार सरवाड़ को प्रेरित कर लेख है कि आप हारा प्रस्तुत प्रस्ताय में वर्गित खसरा नन्बर व अनुसार नवीन शावित राजस्य ग्राम शामसितपुरा का राजस्य अभिलेख एव मानचित्र पृथक से विकार कर इस कार्यालय को एक मार में अवगत करावे साथ ही मंत्रीन धाम की आप द्वारा घरतुत अतार की एक प्रति भू-प्रबन्ध अधिकारी आजमेर को उपलब्ध कराते।

राजस्थान–सरकार राजस्व (गुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 9(26)राज -1/2015

जयपुर, दिनांक : |४/03/20/2

-: अधिसूचना :--

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंपा के अनुस्प राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील सावर, के जी, के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में बंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क . सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्य ग्राम का नाम	राजर जनसंख	वित नवीन व ग्राम की पा/क्षेत्रफल टेयर में)	चूरी कि. भी. में	मूल राजस्य ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर / सावर	आमली	1741	675.23	माताजी का खेडा (आमली खेडा)	975	354.30	1.5	320.93
2	अजमेर/ केकडी	पारा	3881	2655.09	गणेशपुरा	556	309.67	3.0	2345.42
3	अजमेर/ केकडी	मानखण्ड	1901	1630.89	रूपनिवास	768	534.02	1.5	1096.87

नवीन राजरव ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजरव ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजरव ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से (हरि मोहन) संयुक्त शासन सचिव कृपउ प्रतिलिपि निम्नलिखित को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महो०, राजस्थान, राजभवन जयपुर।

उप सचिव, माठ मुख्यमंत्री महोठ,राजस्थान सरकार।

निजी राचिव / विशिष्ट सहायक / समरत गंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव, राज् व सरकार

- निजी सिंचेव, मुख्य सिंचेव / समस्त अतिरिवत मुख्य सिंचेव / प्रमुख शासन सिंचेव / शासन सिंचेव / शासन
- निबन्धक, राजरच मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।

रामस्त जिला कलवटर्स राजस्थान।

आयुक्त, भू—प्रवन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।

- 9 आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 10. निवेशक, जनगणना विभाग राज0, 6-वी, झालाना डूंगरी, जयपुर।

11 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजा जयपुर।

12. निदेशक, सचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर।

13. निवेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगानी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हरताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत। हार्ड व सोफ्ट प्रति आपकी ईमेल आई छी– govt.pressjaipur@gmail.com पर दिनांक \\\\\\\\.03.2018 का प्रेपित कर दी गई है।

14. महाडाकपाल, राज्य जयपुर।

- महाप्रवन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।
- 16. राजस्य (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

17. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकार्र

प्रतिलिपि निम्न को निर्देशानुसार सूचनार्थ प्रेषित है:-

- रिजिस्ट्रार, जनरल मा० राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
 सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

अध्यक्ष एवं प्रयन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

ड्राए अनुभागाधिकाँ

प्रतिलिपि निम्न को भी निर्देशानुसार सूचनार्थ प्रेषित है:-

 अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितिय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.). मेर्ड ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट,नई दिल्ली – 110002

 डेस्क ऑफिसर (एसएमपी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विर् टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली—110016

3. सिवव, रक्षा / कृषि / ग्रामीण विकास / उद्योग / शिक्षा / वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

4. सचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001

 महा सर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट वाक्स नम्बर 37, हाथीबङ्कला एस्टेट, देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड)।

 निदेशक, राजरथान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन, सेक्टर-10, विद्याधरनगर, जयपुर - 302039 (राज0)

7. निदेशक, नॉर्दर्न प्रिटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीबड़कला एस्ट्रिं देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड)।

3. महानिदेशक, डाक विभाग, (प्लानिंग डिवीजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग हैं दिल्ली 110001

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

7.

_{क्रमांक} : प0 9(2)राज -1/2022

जयपुर, दिनांक : 02.09.2022

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के व्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के प्राप्त प्रस्ताव / अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतदृद्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की हिसील रुपनगढ़ एवं केकड़ी के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों / ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभितेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-9 के अनुसार होगा :-

	जिला	ग्राम पंचायत	मूल राज	स्व ग्राम का	विवरण	नवीन राज	स्व ग्राम	का विवरण	दरी	मूल राजस्व	
Ti.	/ तहसील	/ पंघायत समिति	ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	नवीन ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है, में)	दूरी (कि. मी.)	ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (है. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	अजमेर / रुपनगढ़	/			कनोदिया	350	520.0313	3			
2			/ करकेड़ी	करकेड़ी	7055	2664.5 496	दुतिणा	300	383.1036	2.5	1131.9281
3						श्यामनगर	1200	629.4866	2		
4		रुपनगढ़	रुपनगढ़	12505	3812.9	धाकणपुरा	650	270.5477	2.5	3128.3578	
5		किशनगढ़	रुपनगढ़	12505	200	वेबलपुर	600	414.0145	2.5	3120.3376	
6	अजमेर / केकड़ी	बधेरा / केकड़ी	बघेरा	3749.91	7940	हरिरामपुरा	760	376.25	5	3373.66	

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमावन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

Prains

कार्मावः क्रम्बरर (मृ.अ.) कार्मावः क्रमावः क्रमावः क्रमावः क्रिकः।.. १६०० १०००

आज्ञा से,

Delama

(विश्व मोहन शर्मा) संयुक्त शासन सचिव

किया निम्नित्यित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-लाय । महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान सरकार अमुख सीवन/ विशिष्ट सहायक/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण राजस्थान सरकार केर्जी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव विवन्धक, राजस्य मण्डल राजस्थान, अजमेर हमस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान हमस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान _{ज्ञायुक्त,} भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर धायुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर होर्चक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर ाजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर तित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

वितिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- ॥ रिजस्ट्रार, जनरल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोघपुर/जयपुर
- 🗈 सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
- u. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
- u. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर

सहायक शासन सचिव

मीतिलिपि निम्न को भी निर्देशानुसार सूचनार्थ प्रेषित है:-

ण. अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितिय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002

(१) निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली—110016

ध. सचिव, रक्षा / कृषि / ग्रामीण विकास / उद्योग / शिक्षा / वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

भ. सिवव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001

ण महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड

% निदेशक, राजस्थान भू—स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन, सेक्टर—10,

विद्याधरनगर, जयपुर—302039 भ. निदेशक, नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीबड़कला एस्टेट,

देहरादून, उत्तराखण्ड—248001 ^{१६, महानिदेशक}, डाक विभाग, (प्लानिंग डिवीजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

सहायक शासन सचिव